



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1533]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 13, 2019/वैशाख 23, 1941

No. 1533]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 13, 2019/VAISAKHA 23, 1941

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2019

**का.आ.1725(अ).**—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 5216 (अ), तारीख 11 अक्तूबर 2018 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में 142.200 कि.मी. से 245.000 कि.मी. के शहदोल-अनूपपुर-मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-78 (नया रा.रा. 30) के वर्तमान चैनेज 142.200 किमी से 245.000 तथा (डिजाइन चैनेज 142.200 किमी से 234.000 तक) से मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा खंड पर शहदोल-अनूपपुर के उपयोग हेतु पेन्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के उपयोग के लिए सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में यांत्रिक वाहनों पर विनिर्दिष्ट दर पर निवल सड़क खंड की निवल लम्बाई 78.886 किमी [0.709 मी की संरचना की लंबाई सहित (जिनकी लंबाई 60 मी. से अधिक है) जिनकी समकक्ष लंबाई 7.09 किमी है] (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) और बाइपासों जिनकी कुल लंबाई 19.284 किमी है, के उपयोग के लिए नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 90% की दर पर शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को, संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है; अर्थातः-

## सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात्;

## सारणी -2

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
मध्य प्रदेश के शहदोल जिले में शहदोल गाँव के नजदीक रारा-78 (नया रारा 30) पर डिजाइन चैनेज 146.420 (वर्तमान चैनेज 145.400 किमी)	32.794	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पथोरौदी गाँव के नजदीक रारा-78 (नया रारा 30) पर डिजाइन चैनेज 221.570 (वर्तमान चैनेज 232.400 किमी)	39.002	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, बाइपास, जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

## सारणी -3

शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	प्लाजा का नाम	डिजाइन चैनेज		बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
		से	तक	लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
मध्य प्रदेश के शहदोल जिले में शहदोल गाँव के नजदीक रारा-78 (नया रारा 30) पर डिजाइन चैनेज 146.420 (विद्यमान चैनेज 145.400 किमी)	बुधर बाइपास	157.450 किमी	163.050 किमी	5.60 किमी	12.71	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	नया संरेखण (नया लिंक)	172.200 किमी	179.450 किमी	7.184 किमी (संरचनाओं को छोड़कर जिनकी लंबाई 60 मी. से अधिक है)	15.217	
मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पथोरौदी गाँव के नजदीक रारा-78 (नया रारा 30) पर डिजाइन चैनेज 221.570 (विद्यमान चैनेज 232.400 किमी)	कोटमा बाइपास	207.500 किमी	214.00 किमी	6.500 किमी	14.46	
<b>कुल</b>				<b>19.284</b>	<b>42.387</b> करोड़	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोधय और संदेय होगा:

## सारणी 4

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
मध्य प्रदेश के शहदोल जिले में शहदोल गाँव के नजदीक रारा-78 (नया रारा 30) पर डिजाइन चैनेज 146.420 (विद्यमान चैनेज 145.400 किमी)	0.422	4.220 किमी	ऊपर सारणी - 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पथोरौदी गाँव के नजदीक रारा-78(नया रारा 30) पर डिजाइन चैनेज 221.570 (विद्यमान चैनेज 232.400 किमी)	0.287	2.870 किमी	
<b>कुल लंबाई</b>	<b>0.709</b>	<b>7.09</b>	

\*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना के ब्यौरे निम्नलिखित है:

क्रम सं.	60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं (कि.मी. में)	
	संरचना का अवस्थान (चैनेज कि.मी.)	लंबाई (कि.मी.)
1.	विद्यमान 150.290 किमी (डिजाइन 151.311 किमी) पर बड़ा पुल	0.0855
2.	विद्यमान 168.700 किमी (डिजाइन 168.874 किमी) पर बड़ा पुल	0.270
3.	नए पुनः संरेखण के विद्यमान 175.520 किमी पर बड़ा पुल	0.066
	<b>योग</b>	<b>0.4215</b> <b>(0.422 किमी माना जाये)</b>
4.	विद्यमान 211.710 किमी (डिजाइन 201.377 किमी) पर बड़ा पुल	0.075
5.	विद्यमान 230.520 किमी (डिजाइन 219.580 किमी) पर बड़ा पुल	0.098
6.	विद्यमान 235.020 किमी (डिजाइन 224.031 किमी) पर बड़ा पुल	0.114
	<b>कुल</b>	<b>0.287</b>
	<b>महा योग</b>	<b>0.709</b>

- जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए मासिक पास की दर 265.00/- रुपए (दो सौ पैंसठ रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

#### सारणी-5

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

- जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1 ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।
8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. ऊपर सारिणी-1 में यथा – उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्डों की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 460.59 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/18-19/जीसी शहदोल-अनूपपुर-मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ खंड]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2019

**S.O. 1725(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 5216 (E) dated 11<sup>th</sup> October 2018 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Sahdol-Anuppur-Madhya Pradesh/Chhattisgarh Section from kilometer 142.200 to kilometer 245.000, in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 78.886 km [including length of structures (>60 m length) having length of 0.709 m (having equivalent length of 7.09 km)] (hereinafter referred to as “base rate”) for use of the two lane with paved shoulders section and bypasses having a length of total 19.284 km at 90% of the base rates specified in column (2) of Table-1 below for the use of Shahdol-Anuppur at Madhya Pradesh/Chhattisgarh Border section from existing chainage km 142.200 to 245.000 & (Design chainage km 142.200 to km 234.000) of NH-78 (New NH 30) in the state of Madhya Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza (s) for net road length specified for such Fee Plaza (s) namely:-

TABLE-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Design chainage 146.420 (existing chainage km 145.400) on NH-78 (New NH 30) near village Shahdol in Shahdol District of Madhya Pradesh	32.794	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
Design chainage 221.570 (existing chainage km 232.400) on NH-78 (New NH 30) near village Pathoroudi in Anuppur District of Madhya Pradesh	39.002	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza (s):-

TABLE-3						
Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Design Chainage		Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		From	To	Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
Design chainage 146.420 (existing chainage km 145.400) on NH-78 (New NH 30) near village Shahdol in Shahdol District of Madhya Pradesh	Budhar Bypass	km 157.450	Km 163.050	5.60 km	12.71	90% of the base rate mentioned in Table-1 above
	New Alignment (New Link)	Km 172.200	Km 179.450	7.184 km (excluding length of structure >60m)	15.217	

Design chainage 221.570 (existing chainage km 232.400) on NH-78 (New NH 30) near village Pathoroudi in Anuppur District of Madhya Pradesh	Kotma Bypass	Km 207.500	Km 214.00	6.500 km	14.46	
<b>Total</b>				<b>19.284</b>	<b>42.387 Cr.</b>	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

<b>TABLE-4</b>			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
Design chainage 146.420 (existing chainage km 145.400) on NH-78 (New NH 30) near village Shahdol in Shahdol District of Madhya Pradesh	0.422	4.220 km	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
Design chainage 221.570 (existing chainage km 232.400) on NH-78 (New NH 30) near village Pathoroudi in Anuppur District of Madhya Pradesh	0.287	2.870 km	
<b>Total Length</b>	<b>0.709</b>	<b>7.09</b>	

\*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Structure having length more than 60 m	
	Location of Structure (Chainage Km.)	Length (Km.)
1	Major Bridge at existing km 150.290 (Design km 151.311)	0.0855
2	Major Bridge at existing km 168.700 (Design km 168.874)	0.270
3	Major Bridge at existing km 175.520 of New Realignment	0.066
<b>Total</b>		<b>0.4215</b> <b>(Say 0.422 km)</b>
1	Major Bridge at existing km 211.710 (Design km 201.377)	0.075
2	Major Bridge at existing km 230.520 (Design km 219.580)	0.098
3	Major Bridge at existing km 235.020 (Design km 224.031)	0.114
<b>Total</b>		<b>0.287</b>
<b>Grand Total</b>		<b>0.709</b>

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 265.00 (Rupees Two Hundred Sixty Five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

<b>TABLE-5</b>		
<b>Amount Payable</b>	<b>Maximum number of one way journeys allowed</b>	<b>Period of validity</b>
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 460.59 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/18-19/GC/Sahdol-Anuppur-Madhya Pradesh/Chhattisgarh Section]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.